

डिक्री बमूकहमें इब्तादाई

(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी : अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 234 / 2024

वादी

1. कालू खान पुत्र मनोहर खान जाति शेरानी मुसलमान निवासी शेरानी आबाद तहसील छोटी खाटू जिला डीडवाना कूचामन

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मुशीखान पुत्र मनोरदीन जाति शेरानी मुसलमान निवासी शेरानी आबाद तहसील छोटी खाटू जिला डीडवाना कूचामन
2. अलीखान पुत्र मनोरदीन जाति शेरानी मुसलमान निवासी शेरानी आबाद तहसील छोटी खाटू जिला डीडवाना कूचामन
3. गनीखान पुत्र मनोरदीन फौत के विधिक वारिसान
4. शहादत अली पुत्र गनीखान
5. बाना पुत्री गनीखान
6. एमना पुत्री गनीखान
7. जुबेदा बेगम पत्नि गनीखान जातियान शेरानी मुसलमान निवासी शेरानी आबाद हाल निवासीगण बरनेल
8. जफरुदीन पुत्र मनोरदीन फौत के विधिक वारिसान
9. अब्दुल हकीम पुत्र जफरुदीन
10. अब्दुल रहमान पुत्र जफरुदीन
11. रजिया पुत्री जफरुदीन पत्नि जमीर खां
12. जोहरा बेगम पुत्री जफरुदीन पत्नि लुकमान हकीम
13. हाजरा बानो पुत्री जफरुदीन पत्नि इजाज मोहम्मद
14. मुन्नी बानों पुत्री जफरुदीन
15. जमीला पत्नि जफरुदीन जातियान शेरानी मुसलमान निवासीगण शेरानी आबाद तहसील छोटी खाटू जिला डीडवाना कूचामन
16. बिस्मिला पुत्री मनोरदीन पत्नि मुमताज खां फौत के विधिक वारिसान
17. रहमत अली पुत्र मुमताज खां जाति शेरानी मुसलमान निवासी बरनेल तहसील जायल
18. मकसुदा बानो पुत्री मुमताज खां पत्नि नूरमोहम्मद निवासी बरनेल हाल शेरानी आबाद तहसील छोटी खाटू
19. रफीका पुत्र मुमताज खां पत्नि मुराद खां जाति शेरानी मुसलमान निवासी शेरानी आबाद हाल जायल
20. मुन्नी बानों पुत्री मुमताज खां जाति शेरानी मुसलमान निवासी बरनेल तहसील जायल
21. जैतून पुत्री मनोरदीन पत्नि अजीज खां फौत के विधिक वारिसान
22. फारुख खां पुत्र अजीज खां
23. अब्दुल गनी पुत्र अजीज खां
24. सुलेमान पुत्र अजीज खां
25. मोहम्मद हुसैन पुत्र अजीज खां
26. मुन्नी पुत्री अजीज खां
27. फातमा बानो पुत्री अजीज खां
28. सबीना पुत्री अजीज खां



सहायक कलक्टर
(पिस.डी.ओ.) जायल

25. जोरा बानों पुत्री अजीज खां जातियान शेरानी मुसलमान निवासीगण शेरानी आबाद तहसील छोटी खाटू जिला डीडवाना कुचामन
26. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल
- दावा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थिति -

1. वादी 1 की ओर से श्री नरेन्द्रसिंह, एडवोकेट।
3. प्रतिवादी संख्या 1 से 25 की ओर से श्री शिवराज रिणवां एडवोकेट।

: : डिक्री आदेश : :

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरु हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री शिवराज रिणवा एडवोकेट की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि :-

1. वादी संख्या 1 कालू खान के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा कचरास में खेत खसरा नम्बर 96 रकबा 5.3904 हैक्टेयर पूरा खेत रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 25 के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्यूटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें। नजरीनकसा निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा।
3. उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत रहेगा।

आज की तारीख लीज - मुबलिक - बाबत् - खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर - फीस सदी सालाना ख.तारीख वसूल योगो तक - को अदा करें। बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 18/02/25 को जारी किया गया



उपखण्ड अधिकारी, जायल
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल

मुद्दे	रुपये	पैसे	मुद्दाला	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह साबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीष्नर		
फीस कमीष्नर			बाबत् इजराय हुक्मीजान		
बवत इजराय हुक्मीजान			मुतफरिंक		
मुतफरिंक					

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी, जायल
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल